राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–04/2018

पंजियन दि. 02.04.2018
निर्णय दि. 29.05.2019

श्री कन्हैयाला पिता वेलजी लोहार, निवासी ओडवाडिया, तहसील व जिला डूंगरपुर

–– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सुखलाल पिता धुलजी पटेल, निवासी ओडवाडिया, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती जशोदा पत्नि श्री सुखलाल पटेल, निवासी ओडवाडिया, तह. व जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मणसिंह बियोला – अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट नं. 3

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

:: निर्णय ::

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र न्यायालय हांजा को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओडवाडिया की हाल आराजी नंबर 2344/1036 में रकबा 05 बिस्वा पर विगत 50 वर्षो से अपीलार्थी के पिता स्व0श्री वेलजी पिता कुरजी लौहार के समय से कब्जा खेत–वाडिया–खलिहान के रूप में रहा है जिस पर पुरानी बाड लगी होकर वर्तमान में प्रार्थी काबिज हैं। उक्त भूमि बाबत् प्रार्थी के पिता स्व0श्री वेलजी के नाम धारा–91 रा0भू0रा0 अधिनियम के तहत नोटिस भी दिये गये हैं। प्रार्थी के पिता स्व0श्री वेलजी द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु धारा–98 भू0रा0अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, किंन्तु रेस्पोडेन्टगण ने मिलीभगत करते हुए अपीलार्थी के कब्जे की उक्त भूमि को अवैद्य रूप से आवंटित करवा ली हैं जिससे प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टगण के नाम किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद सूचना/तामील नोटिस के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

29/5/19

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ओडवाडिया की बिलानाम आराजी नंबर 2344/1036 की भूमि जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटित की गई हैं, उस पर विगत 50 वर्षो से अपीलार्थी के पिता स्व0श्री वेलजी पिता कुरजी लौहार के समय से ही आज तक कब्जा चल आ रहा हैं। अपीलार्थी के पिता श्री वेलजी द्वारा उक्त भूमि पर खेत–वाडिया व खलिहान बनाया था तथा इसकी सुरक्षा हेतु बाड लगाई थी जो आज भी मौजूद हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता के कब्जे को लेकर उन्हें धारा–91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत नोटिस प्रदान किये गये थे तथा उनके पिता द्वारा पेनाल्टीयां भी जमा कराई गई थी। अपीलार्थी के पिता स्व0श्री वेलजी लौहार ने उक्त भूमि को आवंटित करवाने हेतु धारा–98 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् से अपीलार्थी इस भूमि पर काबिज हुआ हैं जो आज तक अनवरत रूप से काबिज हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने पटवारी से मीलीभगत करते हुए मौके के वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थी की पीठ पीछे छिपे तौर पर उक्त आवंटन करवा लिया हैं जो नियमों के विपरीत होने से आवंटन निरस्त योग्य हैं। अपीलार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में पत्रावली में अपने पिता श्री वेलजी द्वारा धारा–98 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तथा तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा जारी किये गये धारा–91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की छायाप्रतियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया। अपीलार्थी का आगे यह भी कथन रहा है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को आवंटित भूमि पर प्रार्थी का आज तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा होकर मौके पर बाड लगी हुई हैं तथा रेस्पोडेन्टगण का आवंटन कागजो में बना रहने से मौके पर विवाद हो शांति भंग होने की संभावना बनी रहेगी। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन निरस्त किया जावें। पेरोकार सरकार ने औपचारिक रूपेण बहस में भाग लिया।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कथनों पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा–98 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से अपीलार्थी के पिता श्री वेलजी द्वारा ग्राम ओडवाडिया की आ.नं. 1036 में भूमि की मांग करना पाया जाता हैं। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा धारा–91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपीलार्थी के पिता श्री वेलजी पिता कुरजी लौहार के नाम जारी नोटिस के अवलोकन से कब्जा आ.नं. 1036 की भूमि रकबा 05 बिस्वा पर संवत् 2045 में होना पाया जाता हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को उन्हें आवंटित भूमि के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने दो मर्तबा नोटिस जारी किये गये किन्तु बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होना उक्त भूमि बाबत उनकी कोई आपत्ति नहीं होना दर्शाता हैं।

Scanned by CamScanner

अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम मौजा ओडवाडिया की आराजी संख्या 2344/1036 रकबा 05 बिस्वा का दिनांक 16.01.2013 को जरिये मीसल नंबर 73/13 से किया गया आवंटन को निरस्त किया जाता हैं एवं आवंटित भूमि को पूर्ववत बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार डूंगरपुर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner